हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वाद 124/24	
06/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप. । अधिवक्ता प्रा. पत्र 09 नियम 7 जा. दी के सहायक उप. । अधिवक्ता वादी ने जवाब प्रा. पत्र 09 नियम 7 जा.दी. पेश किया। शामिल मिसल हो। बहस प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 जा. दी. पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रा. पत्र 09R7 ने प्रा. पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने जान बुजकर मेरे निवास पर तामिल नही करा कर गलत पते पर तामिल करायी जिससे मुझे उक्त वाद के बारे मे जानकारी नही थी इस कारण न्यायालय आप मे उपस्थित नही हो सका। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र 09R7 स्वीकार कर मेरे खिलाफ एक पक्षीय आदेश को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अधिवक्ता वादी (अप्रार्थी) ने जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन किया कि प्रार्थी के असल पते पर जाकर तामील कुनिन्दा द्वारा मौके पर जाकर प्रार्थी को तामिल से अवगत कराया एवं तामिल नही लेने की स्थिति मे दो मौतबीरो के	(हस्ताक्षर) (नीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हस्ताक्षर करवा कर नियमानुसार तामिल करवाई गई। प्रार्थी को वाद पत्र की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से प्रार्थी / प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। इसलिए प्रार्थी के प्रा.पत्र 09R7 खारीज किए जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्षो के कथनो पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न सम्मन से विदित हुआ है कि तामिल कुनिन्दा ने अपनी रिपोर्ट मे प्रतिवादी रामलाल द्वारा "तामील पढ़ कर समझ कर लेने से इन्कार किया जिस को तस्दीक हेतु मौतबिरान के हस्ताक्षर भी करवाए" इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा आगामी दो पेशियो तक सुनवाई का अवसर दिया गया फिर भी प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। उक्त प्रकरण बाद सुनवाई प्राथमिक डिग्री किया गया। प्राथमिक डिग्री की पालना मे कार्यालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उभय पक्ष को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचना पत्र जारी किए गए।

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

पुखराज बनाम रामलाल

किस्म मुकद्दमा वाद नं. 124 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त सूचना पत्र पर भी "सूचित होकर होने से इन्कार के रिपोर्ट जिसकी तस्दीक उपस्थित मौतबिरान द्वारा की गई" उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी को उक्त वाद पत्र की सूचना होने के बावजूद भी न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी अब यह प्रा.पत्र 09 R7 प्रस्तुत कर वाद पत्र की कार्यवाही को लम्बित रखने की मंशा से पेश किया है अत: ऐसी सूरत मे प्रतिवादी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र न्यायोचित न होकर विधि विपरित है अत: प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 09 नियम 7 जा.दी. सारहीन होने एवं पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है	

(मीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अभिभाषक वादी ने तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री पारित करने का निवेदन किया। अभिभाषक वादी के निवेदन को स्वीकार किया जाकर वादी के वाद पत्र का अन्तिम निर्णय व डिक्री किया गया। निर्णय व डिक्री पृथक से तहरीर करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (वीनू देवल) उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)